



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. 2nd Suspension Of Sentence Application No.
525/2026

In

S. B. Criminal Appeal No. 2811/2025

1. Mahendra Singh Son Of Purnaram, Aged About 36 Years,
Resident Of Jasrasar, Police Station Laxmangarh, District
Sikar.
(At Present In Central Jail, Bikaner)
2. Mahesh Kumar Son Of Sanwarmal, Aged About 25 Years,
Resident Of Dalmas, Police Station Laxmangarh District
Sikar.
(At Present In Central Jail, Bikaner)
3. Sandeep Alias Lohar Son Of Shivpal, Aged About 30
Years, Resident Of Bhojasar Bada, Police Station
Laxmangarh District Sikar.
(At Present In Central Jail, Bikaner)
4. Amit Son Of Babulal, Aged About 24 Years, Resident Of
Lalasi, Police Station Laxmangarh District Sikar.
(At Present In Central Jail, Bikaner)

-----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through The PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh, Adv. Mr. Jaswant Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Susheel Pujari, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

29/04/2026

1. प्रार्थी-अपीलार्थीगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय, **अपर सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ जिला-सीकर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **14/2021** में पारित निर्णय **10.10.2025** के माध्यम से प्रार्थी-अपीलार्थीगण को धारा 147, 148, 341, 323, 325 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अपराध में अधिकतम **05** वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है।

3. प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम दण्डादेश स्थगन आवेदन दिनांक 04.12.2025 को कुछ समय पश्चात् नवीन दण्डादेश स्थगन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिये जाने के आधार पर निस्तारित हुआ था।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा के मुकाबले सभी अभियुक्तगण 8 से 11 माह की सजा भुगत चुके हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धि हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा दण्डादेश स्थगन आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण आदतन अपराधी हैं, 15 लाख रुपये की वसूली हेतु अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से आहत पी.डब्ल्यू-9 श्रवण कुमार के साथ निर्मम तरीके से मारपीट की गई तथा उसके अनेक अस्थिभंग कारित किये, वह एक माह से अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहा, उसके बाद भी लम्बे समय तक उपचार व डायलिसिस चला। मामला वस्तुतः धारा 307 भा.दं.सं. का बनता है, स्वयं परिवादी/आहत पक्ष की ओर से एकलपीठ दण्डिक अपील संख्या 3268/2025 इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है, सह-अभियुक्तगण का विचारण शेष है, अंत में अभियुक्तगण के भारी भरकम

आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए दण्डादेश स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. सभी पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. वर्तमान मामले में आहत पी.डब्ल्यू-9 श्रवण कुमार के पर्चा बयान के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप है कि आहत सीकर में नर्सिंग कॉलेज चलाता है। अभियुक्तगण द्वारा 15 लाख रुपये की अवैध मांग की गई अन्यथा मारने की धमकी दी गई और घटना के दिन अपीलार्थी-अभियुक्तगण अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मौके पर आए और उनके द्वारा अवसर पाकर लाठी व अन्य हथियारों से मारपीट की, जिससे उसके कई अस्थिभंग कारित हुए। विचारण न्यायालय द्वारा आहत व प्रत्यक्षदर्शी गवाहान के बयानों, चिकित्सकीय दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 307 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया लेकिन अन्य आपराध के साथ धारा 325 अथवा 325/149 में दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम 5 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

8. यह बात सही है कि अभियुक्तगण करीब 8 से 11 माह की सजा भुगत चुके हैं, लेकिन विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त महेन्द्र सिंह जो कि सीकर जिले का हिस्ट्री-शीटर है, के विरुद्ध 17 तथा शेष अभियुक्त महेश, संदीप व अमित के विरुद्ध क्रमशः 10, 7 व 8 आपराधिक प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध हो चुके हैं, जिसमें से काफी प्रकरण गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभियुक्तगण द्वारा यह घटना कारित किया जाना विचारण न्यायालय द्वारा प्रमाणित मानते हुए दोषसिद्ध किया गया है।

9. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से दूर व फरार रहे और उस कारण से उनका विचारण नहीं हो सका है। वर्तमान समय में दिनांक 17.01.2026 को अभियुक्त अनुज व संजय उर्फ संजू को गिरफ्तार कर पेश किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उनके विचारण हेतु मूल अभिलेख की आवश्यकता होना बताया गया है। सभी अभियुक्तगण के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण स्थानीय क्षेत्र

में लम्बे से आपराधिक गतिविधियों में एक गिरोह के रूप में संलग्न हैं, अतः संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण का दण्डादेश तत्काल स्थगित किया जाना उचित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि इन अभियुक्तगण का दण्डादेश स्थगित किया गया, तो जिन अभियुक्तगण का विचारण प्रारंभ होना है, उनके द्वारा विचारण के दौरान गवाहान को डराये, धमकाये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और उस परिस्थिति में निष्पक्ष विचारण हो पायेगा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

10. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः प्रार्थी-अपीलार्थीगण **1. महेन्द्र सिंह, 2. महेश कुमार, 3. संदीप उर्फ लुहार तथा 4. अमित** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

12. चूंकि कुछ अभियुक्तगण इस मामले में अब गिरफ्तार हुए हैं, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूल अभिलेख चाहा गया है, अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J